**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1183

उत्‍तर देने की तारीख: 20.12.2018

**किशोरों के लिए यौन शिक्षा**

1183. श्रीमती वंदना चव्हाणः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किशोरों के लिए यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्ध व्यक्त की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) किशोर बालक और बालिकाओं को विस्तृत यौन शिक्षा प्रदान करने के साथ ही औपचारिक स्कूलों के अंदर और बाहर दोनों में मासिकधर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता शिक्षा के कार्यक्रमों का केन्द्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाए जा रहे हैं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अनेक राज्य सरकारों ने ‘‘किशोर शिक्षा कार्यक्रम’’ को प्रतिबंधित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के प्रतिबंधों पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया रही है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. सत्‍य पाल सिंह)**

(क) से (ग): जी, नहीं। राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, 2005 के अनुसरण में स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राष्‍ट्रीय जनसंख्‍या शिक्षा परियोजना (एनपीईपी) के भाग के रूप में किशोर शिक्षा कार्यक्रम (एईपी) कार्यान्‍वित कर रहा है। एईपी तीन मुख्‍य सरोकारों पर फोकस करता है:

1. किशोरावस्‍था के दौरान विकास प्रक्रिया
2. एचआईवी और एड्स
3. मादक पदार्थ सेवन

एईपी के प्रमुख दोहरे उद्देश्‍य हैं:

1. स्‍कूल पाठ्यचर्या, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों में किशोर शिक्षा घटक को जोड़ना;
2. माध्‍यमिक और उच्‍चतर माध्‍यमिक स्‍कूलों में जीवन कौशल आधारित पाठ्येत्‍तर कार्यकलाप आयोजित करना;

ये शैक्षिक कार्य निम्‍नलिखित निष्‍कर्षों पर लक्षित किए गए हैं:

1. किशोरावस्‍था के सरोकारों जैसे किशोरावस्‍था के दौरान विकास प्रक्रिया, एचआईवी/एड्स और मादक पदार्थों के प्रयोग के बारे में छात्रों को जागरूक करना;
2. उनमें इन सरोकारों के प्रति सकारात्‍मक मनोदृष्‍टि विकसित करना; और
3. जीवन कौशल अपनाने में सहायता करना ताकि वे एचआईवी संक्रमण जैसी खतरनाक परिस्‍थितियों से बच सकें और संसूचित निर्णय ले सकें तथा सकारात्‍मक एवं उत्‍तरदायित्‍वपूर्ण व्‍यवहार का निर्माण कर सकें;

इस कार्यक्रम के तहत, किशोर शिक्षा और जन शिक्षा मुद्दों पर विभिन्‍न एकीकरण, प्रशिक्षण, मूल्‍यांकन और अन्‍य पाठ्यचर्या गतिविधियां जैसे नाट्य भूमिका तथा लोक नृत्‍य आदि आयोजित की जाती हैं।

(घ) और (ड.): एनपीईपी के घटक के रूप में एईपी पर देश में किसी भी राज्‍य/ संघ-राज्‍यक्षेत्र में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

**\*\*\*\*\***